



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार - 249404

संख्या: 215/01/डी0आरो(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 01 नवम्बर, 2023

### अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों में अंकित A.P.I. स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY) विषय के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे से संबंधित प्रमाण-पत्र अभिलेखों के साथ उपलब्ध न कराने के कारण निम्न तालिका के कॉलम-3 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

क्र0सं0	अनुक्रमांक	अभ्युक्ति
1	2	6
1.	516826	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वादविवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट-5 प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।
2.	516995	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3.	517093	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट-05 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता के अंतर्गत बोनस अंक का दावा मान्य नहीं है।

4.	<b>517102</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC-B का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा NSS-B प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। तदक्रम में अधिमान मान्य नहीं है।</li> <li>2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</li> </ol>
5.	<b>517195</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</li> </ol>
6.	<b>517418</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।</li> </ol>

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 16.11.2023 (बृहस्पतिवार) के सांय 06:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**-SD-**  
 (गिरधारी सिंह रावत)  
 सचिव।